

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

7 SEP 2018

क्रमांक प. 22(3)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

**::आज्ञा::**

श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी, नगर परिषद, चूरु को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के अनुसार उप विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2016-17 में दिनांक 01.04.2016 को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(2)न्याय/2016 दिनांक 07.09.2017 के द्वारा पदोन्नत किया गया।

श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी, नगर परिषद, चूरु को पदोन्नति पर राजस्व मण्डल कलेक्टर, जयपुर में उप विधि परामर्शी के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने पर इनसे स्पष्टीकरण इस विभाग के पत्रांक प.22(36)न्याय/91 दिनांक 19.07.2018 द्वारा लिया गया। श्री शुभकरण द्वारा हृदय रोग से ग्रसित होने के कारण तथा चूरु से अन्यत्र कार्यग्रहण करने की स्थिति में न होने के कारण अपनी पदोन्नति परित्याग कर वर्तमान पद पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2018 से किया गया है।


श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी के पदोन्नति आदेश दिनांक 07.09.2017 को निरस्त कर इनका पदस्थापन सहायक विधि परामर्शी, नगर परिषद, चूरु में ही यथावत रखा जाता है।

आज्ञा से,

र -  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय विधि राज्य मंत्री महोदय।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित श्री शुभकरण, सहायक विधि परामर्शी, नगर परिषद, चूरु।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

  
7-9-18  
संयुक्त शासन सचिव